संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के नौ खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं ।

1- संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित अन्य सूचना www.**rajbhashasamiti.gov.in** पर उपलब्ध है ।

2- **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति जी के आदेशों की प्रति www.rajbhasha.gov.in और www.rajbhashasamiti.gov.in पर उपलब्ध है।**